

FORM NO.III

फर्द अहकाम

( नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ ( राज.)

मदनलाल

वनाम

नारायण

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 155/2024

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

29/04/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / ~~श्रीमती~~ मदनलाल - रतनलाल श्री नारायणलाल जी जार

~~श्रीमती~~ श्रीमती गीता बई पत्नी नारायणलाल जी जार

निवासी- बराडा

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम .....

बराडा (घण्टा झोखडी) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर बराडा खाता  
संख्या 232 से वर्णित आराजीपत्र की 6 कुल रकबा 0.4467 एं  
खाता सं. 60 से वर्णित आराजीपत्र की 7 कुल रकबा 3.2950 ए.  
कुल कीता 6+7=13 कुल रकबा 3.7417 है 0 की पत्थरगढी  
कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज  
रेकार्ड हैं।

अतः प्रार्थी की ग्राम

बराडा (घण्टा झोखडी) चित्तौड़गढ़

नम्बर

खाता संख्या

स्थित खातेदारी की भूमि आराजी

232 से वर्णित आराजीपत्र की  
6 कुल रकबा 0.4467 एं खाता सं. 60 से वर्णित आराजीपत्र  
की 7 कुल रकबा 3.2950 ए.

कुल कीता 6+7=13 रकबा 3.7417 है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी  
किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का  
खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 2000/- रूपये अक्षर दो हजार रूपये  
प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर  
पेश हो।



(विनू देवल)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)